


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रुल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत चिकित्सा अधिकारी, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, नागौर की अनुशंषा के आधार पर श्री योगेश व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, कितलसर (नागौर) को दिनांक-27.12.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।


इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का प्रीम्नावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा। उक्त आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त जारी किया जाता है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018/297 दिनांक-07/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग, अजमेर
- 2-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, नागौर
- 3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राउमावि, कितलसर (नागौर) को श्री योगेश, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्री योगेश, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, कितलसर (नागौर)
- 6-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर